समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 21-06-2016 को बैंकर्स सुरक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक एवं बैंक के पदाधिकारी /जिला समन्वयकों को बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(2) आगत रजिस्टर का संधारण :-

जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित बैंकों के पदाधिकारियों को बताया गया कि अपने-अपने बैंक में एक आगत रजिस्टर रखेंगे, जिस पर आने वाले ग्राहक /अतिथि अपना हस्ताक्षर करेंगे। बैंक इस आशय की जानकारी संबंधित थानों को देंगे, त.कि संबंधित थानाध्यक्ष भी बैंक परिसर का निरीक्षण कर अपना हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षरयुक्त रजिस्टर के फोटो कॉपी सप्ताह में एक बार पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को प्रतिवेदित करेंगे।

(3) D.M.F.D :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामान्यतः जिन बैंकों में लेन-देन अधिक होता हैं, वहां डी०एम०एफ०डी० लगाया जाए।

(4) Threat Perception :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि Threat Perception के आधार पर Intra/ Inter District transaction वृहत पैमाने पर हेता है, तो इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को दें।

(5) बैंकों की गश्ती :-

SBI/ IDBI के शाखा प्रबंधक द्वारा बताया गया कि पहले लगातार गश्ती किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में गश्ती नहीं हो रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पंचायत चुनाव के कारण थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब लगातार गश्ती किया जाएगा।

(6) सी०सी०टी०भी० कैमरा :-

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि किसी मौके पर बैंक गया तो ये पाया गया कि सी०सी०टी०भी० का लैंस बहुत गंदा है, जिससे साफ-साफ तस्वीर नहीं मिल पाता

है। ऐसी स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी सी0सी0टी0भी0 कैमरे के लैंस को साफ कराया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कम से कम 4 Mega Pixel Night Vision With Circular CCTV लगाया जाए, जिससे व्यापक तौर पर फुटैज प्राप्त किया जा सके।

(7) <u>पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति :-</u>

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि कभी-कभी बैंकर्स द्वारा थानाध्यक्षों से तुरन्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। बताया गया कि पुलिस बल का प्रतिनियुक्ति पुलिस अधीक्षक कार्यालय से किया जाता है। इस संबंध में थानाध्यक्षों के साथ पुलिस अधीक्षक से बल की मांग हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

(8) <u>Casual Perception :-</u>

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि Casual perception होने पर पुलिस बल की मांग कम से कम 20-25 हजार राशि की निकासी पर बल उपलब्ध कराया जा सकता है।

जिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया कि इस आशय का एक आदेश पत्र निर्गत करें, जिसमें सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष बैंक जाकर ये देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिन-जिन चीजों को बैंकों में लगाने हेतु निदेशित किया गया था, उन-उन चीजों का लगाया अथवा नहीं।

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि बैंकों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी बैंक में आये हुए ग्राहकों का स्लीप आदि भरते हैं, अपने काम पर सुचारू रूप से ध्यान नहीं देते हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी उपस्थित बैंक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी से सुरक्षा संबंधी कार्य ही लिया जाए अन्यथा किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। अगर ये सुरक्षा कर्मी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो उसके विरूद्ध रिपोर्ट करें। आपके रिपोर्ट के आधार पर संबंधित सुरक्षा कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैंक पदाधिकारी द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित बैंक हेतु स्थानीय पुलिस थाना से मदद की मांग की गयी।

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सात दिनों पर Transaction होने पर 1:4 का पुलिस बल दिया जा सकता है।

(9) <u>कैश का ट्रांजेक्शन :-</u>

➢ एच0डी0एफ0सी0 बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा बताया गया कि ग्राहक के द्वारा भी ज्यादा कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का आदेश है ?

➢ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा सभी शाखा प्रबंधक को बताया गया कि ऐसे ग्राहक को अपने कमरे में बुलाकर कैश डिलिवरी करें।

➢ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बैंक परिसर में कोढ़ा समूह घूमता रहता है और देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर तुरंत पुलिस अधीक्षक /जिलाधिकारी के मोबाईल पर एस0एम0एस0 के द्वारा सूचना दें, ताकि उसी समय पुलिस बल को भेजकर अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

(10) वाहनों का पार्किंग :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बैंक के आगे गाड़ियों के पार्किंग हेतु समुचित व्यवस्था होनी चाहिए एवं लगातार अनुश्रवण होना चाहिए कि बैंक परिसर में आये ग्राहक अपनी गाड़ी सही तरीके से लगाये। इस तरह की व्यवस्था होने पर दुर्घटना कम होने की संभावना बनती है।

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिन बैंकों के पास कैश चेस्ट हैं, वहां भी सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाया जाना चाहिए।

(11) गृह रक्षकों हेतु अधियाचना :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा सभी बैंक मैनेजर /पदाधिकारी को बैंक में समुचित व्यवस्था हेतु गृह रक्षक की प्रतिनियुक्ति के लिए अधियाचना देने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 15 दिनों पर सुरक्षा व्यवस्था का अंकेक्षण किया जाएगा।

➢ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बैंकों में प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी अगर अवकाश में जाते हैं, तो सार्जेन्ट मेजर, मधेपुरा को प्रतिवेदित करें एवं उसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को भी दें।

➢ अपर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि बैंक कर्मी एवं बैंकों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि Heavy transation होने पर एक या दो दिन पहले संबंधित थाना एवं पुलिस अधीक्षक को सूचित करें। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना मोबाईल नम्बर सभी बैंक पदाधिकारियों को दिया गया।

*(अनुपालन– सभी बैंक के शाखा प्रबंधक /जिला समन्वयक /अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला)*

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22/6/16

| | | |
|---|---|---|
| प्रभारी पदाधिकारी<br>जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा। | पुलिस अधीक्षक<br>मधेपुरा। | जिलाधिकारी<br>मधेपुरा। |

Ram 22/6/16
Khalid 22/6/16

ज्ञापांक 1487 /गो०, मधेपुरा, दिनांक 22/6/16

प्रतिलिपि : सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक /जिला समन्वयक, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त बैठक की कार्यवाही की प्रति अपने स्तर से सभी बैंकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन से 15 दिनों के अंदर अवगत करायेंगे।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

| | | |
|---|---|---|
| प्रभारी पदाधिकारी<br>जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा। | पुलिस अधीक्षक<br>मधेपुरा। | जिलाधिकारी<br>मधेपुरा। |

Khalid 22/6/16

22.6.16.

22/6/16

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी